मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद कमांक 1 से 5

आपदा राहत निधि के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो में वृहद निर्माण कार्य हेतु रूपये 600.00 लाख, लघु निर्माण कार्य हेतु रूपये 200.00 लाख, अनुरक्षण कार्य हेतु रूपये 5000.00 लाख, सड़क और पुल हेतु रूपये 2000.00 लाख एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी निर्माण कार्य हेतु रूपये 200.00 लाख कुल पर राशि रूपये 8000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6 से 7

13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दक्षता निर्माण हेतु राशि रूपये 400.00 लाख स्वीकृत की गई है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।